

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

18 दिसम्बर, 2023 (ई०)

सोमवार, तिथि

[त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र]

27 अग्रहायण, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

**-: प्रश्नोत्तर :-**

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

**-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-**

- (04)- डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (05)- श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- श्री राज सिन्हा, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (08)- श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स० एवं श्री सोनाराम सिंक्, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

**-: समितियों का गठन :-**

- (09)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।



-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (10)-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की प्रभारी मंत्री, श्रीमती जोबा मांझी द्वारा झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018, झारखण्ड राज्य माता पिता भरण-पोषण और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2014 तथा Jharkhand Juvenile Justice Board (Care and Protection) Rules, 2017 की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (11)-झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (12)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

- (13)-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
- (14)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।


सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२३-<sup>2433</sup>...../वि०स०, राँची, दिनांक- 17/12/23


प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.12.2023  
(हरेन्द्र कुमार साह)  
उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२३-<sup>2433</sup>...../वि०स०, राँची, दिनांक- 17/12/2023


प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

  
17.12.2023  
उप सचिव,


झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२३-<sup>2433</sup>...../वि०स०, राँची, दिनांक- 17/12/2023

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.12.2023  
उप सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत

  
17/12/23